न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (रैफ.) संख्या 14/14 **तारीख रजू 21.7.2014**

RCMS NO. 2017/00181

बउनवानीः— सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

बनाम

1. धारा सिंह उर्फ रामसिंह पुत्र स्व0 श्री भजन माली निवासी ग्राम खाण्डोज, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. ताराचन्द पुत्र स्व0 श्री भजन माली निवासी ग्राम खाण्डोज,तह0व जिला सवाईमाधोपुर
3. धापा बेवा श्री भजन माली निवासी ग्राम खाण्डोज, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2), राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः—1. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— **दिनांक 11.3.2020**

यह रेफ.प्रार्थना पत्र तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 की पालना में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम उलियाना तह0 सवाईमाधोपुर की आराजी ख0न0 843 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 एवं 2025 से 2032 में अभिलिखित थी तथा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नही है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि ख0न0 843 रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा मे से रकबा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन अनियमित रूप से अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में कर दिया है जो अवैद्य है एवं नियम विरूद्व नियमन की श्रेणी मे आता है जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 1.3.1975 से ख0न0 843 गै0मु0 नाली मे से 18 बिस्वा, ख0न0 914/2/1 गै0मु0 बेहड, ख0न0 936 गै0मु0 बजंड, ख0न0 955/2/1 गै0मु0 बेहड का गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 590 दिनांक 02.07.1986 से खातेदारी अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे खातेदारी दर्ज की गयी है जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी/रैफ. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किये गये ख0न0 843 रकबा 18 बिस्वा का अवैद्य आवंटन के आधार पर खातेदारी प्रोदभूत वर्जित भूमियों के संबंध में उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरणों को ख0न0 843 रकबा 18 बिस्वा की सीमा तक निरस्त किया जावे।

इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत उक्त रैफ. दिनांक 08.11.2006 को राजस्व मण्डल को रेफर किया गया था किन्तु राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.12.2013 से उक्त रैफरेन्स इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्वत् 2005 की जमाबन्दी या अन्य कोई तत्कालीन रिकार्ड मंगवाया जाकर उभय पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण न्यायालय हाजा में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलवी की गयी किन्तु अप्राथीगण बावजूद तामील नोटिस न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। सम्वत् 2025 से 2032 की जमाबन्दी ग्राम उलियाना तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी जिसमे केवल ख0न0 843 ही गै0मु0 नली दर्ज है। तत्पश्चात बहस पैरोकार राजस्व सुनीय गयी।

दौराने बहस पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर प्रस्तुत रैफरेन्स के संबंध में सम्वत् 2025 से 2032 की जमाबन्दी की ओर ध्यान आकर्षित कर

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कथन किया कि ग्राम उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर की आराजी ख0न0 843 रकबा 18 बिस्वा जो कि मुताबिक राजस्व अभिलेख गै.मु. तलाई के रूप मे दर्ज थी जिसमे से नियमों के विपरीत उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया जाकर विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 1.3.1975 से ख0न0 843 गै0मु0 नाली मे से 18 बिस्वा, ख0न0 914/2/1 गै0मु0 बेहड, ख0न0 936 गै0मु0 बजंड, ख0न0 955/2/1 गै0मु0 बेहड का गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 590 दिनांक 02.07.1986 से खातेदारी अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे खातेदारी दर्ज की गयी है जो ख0न0 843 रकबा 18 बिस्वा की सीमा तक नियम विरूद्व होने के कारण उक्त दोनो नामा0 ख0न0 843 रकबा 18 बिस्वा की सीमा तक खारिज किये जाने योग्य है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं वर्जित वर्ग की श्रेणी मे आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकारी उद्भूत नही होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन के योग्य नही है इस प्रकार विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये उक्त नामा0 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 द्वारा भी इस प्रकार की भूमियों के संबंध में 15.8.1947 की स्थिति बहाल करने बाबत आदेश प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये उक्त दोनो नामा0 को ख0न0 843 रकबा 18 बिस्वा की सीमा तक निरस्त फरमाये जाने की राय के साथ रैफरेन्स मा0 राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर न्याय के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल को रैफर किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम उलियाना तहसील सवाईमाधोपुर का नामान्तरकरण संख्या 299 दिनांक 1.3.1975 से ख0न0 843 गै0मु0 नाली मे से 18 बिस्वा, ख0न0 914/2/1 गै0मु0 बेहड, ख0न0 936 गै0मु0 बजंड, ख0न0 955/2/1 गै0मु0 बेहड का गैर खातेदारी का एवं नामा0 संख्या 590 दिनांक 02.07.1986 से खातेदारी अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष मे खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त दोनो नामा0 ख0न0 843 रकबा 18 बिस्वा की सीमा तक नियम विरूद्व होने के कारण उक्त दोनो नामा0 को ख0न0 843 रकबा 18 बिस्वा की सीमा तक निरस्त करने की राय के मय जमाबन्दी सम्वत् 2025 से 2032 के साथ माननीय राजस्व मण्डल–राजस्थान–अजमेंर को रैफर किया जाता है। उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 22.4.2020 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.30 18:03:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: